संख्या-31/913/38-6-16-02(एनआरएलएम)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- 09 दिसम्बर, 2016**

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलपी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2975/टीसी-574/आजीविका/ लेखा/2016-17, दि0-21.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2016-आरएल(एनआरएलपी-28), दि0-29.09.2016 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की 60 प्रतिशत धनराशि रू0 18,83,25,000/- तथा इसके सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 12,55,50,000/- कुल धनराशि रू0 31,38,75,000.00 (रूपये इकतीस करोड अडतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में की गई बजट व्यवस्था से आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2017 को समर्पित कर दी जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन में जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-31/913(1)/38-6-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in